न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

कैम्प कोर्ट : ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी

नन्दलाल बनाम सरपंच ग्रा.पं. 1 एमएलके–सी आदि

अपील विरूद्ध इन्तकाल

प्रकरण संख्या :– 2021/1055 (Cx MS)

18.11.2021 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी में अपीलांट की ओर से एक अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 115 दिनांक 05.06.2020 स्वीकृत द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत 1 एमएलके –सी, प्रस्तुत करने पर पेश हुई। अपीलांट ने निवेदन किया कि चक 4 एमएलके–ए तहसील घड़साना का प.नं. 31/51 मु.नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर कमांड मय खाला कृषि भूमि नन्दलाल वगैरह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो कि दिनांक 25.02.2020 को मुझ अपीलांट की बहनों करमा, जसमेल कौर, सन्तोषदेवी ने हकत्याग के द्वारा उक्त रकबा में अपने हिस्से प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा का हकत्याग मुझ अपीलांट के नाम किया था एवं 1/2 हिस्सा का हकत्याग मेरे भतीजे करतार सिंह, मंगलाराम, मिठुसिंह व राजपाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के पक्ष में हकत्याग किया था जो कि पटवारी हल्का व सरपंच ने इन्तकाल दर्ज करते समय मुझ अपीलांट व मेरे भतीजों को बहिस्सा बराबर बराबर नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जो कि दस्तबरदारी अनुसार सही दर्ज नहीं किया गया है। हल्का पटवारी व सरपंच द्वारा उक्त दस्तबरदारी का बिना कोई अवलोकन किये उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जो काबिल निरस्ती के है। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी द्वारा स्वीकृत उक्त इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 05.06.2020 को निरस्त कर दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2020 के अनुसार उक्त रकबा

नन्दलाल
Kartarsingh
मंगलाराम
मिठुसिंह
राजपालसिंह

का इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 स्वयं उपस्थित आये एवं अपील को स्वीकार करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी द्वारा स्वीकृत उक्त इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 05.06.2020 को निरस्त कर दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2020 के अनुसार उक्त रकबा का इन्तकाल दर्ज किये जाने पर सहमति दी। प्रकरण में तहसीलदार घड़साना एवं सरपंच ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिनका अवलोकन करने पर एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2020 की प्रति, इन्तकाल की प्रति आदि दस्तावेजों का अवलोकन करने पर एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स को मौखिक रूप से सुना जाने पर पाया जाता है कि मूल रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2020 से मिलान किये बिना ही सरपंच ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी द्वारा इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जो कि विधि विरूद्ध पाया जाता है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी द्वारा स्वीकृत इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 05.06.2020 को निरस्त करते हुए तहसीलदार घड़साना को आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 25.02.2020 के अनुसार विधि अनुसार पुनः इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2021 को मेरे द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 1 एमएलके–सी में मजम–ए–आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना